नशामुक्त भारत

अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सरकार के परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने 'Whole of Government Approach' के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किये गए बहुआयामी प्रयासों का परिणाम है कि NCB द्वारा 2014 के बाद पकड़े गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 160% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध 199% अधिक मामले दर्ज हुए हैं।

चुनौती

मादक पदार्थ आज भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। इसका व्यसन जहाँ एक ओर युवाओं को समाज पर अनुत्पादक बोझ बना देता है वहीं इसके व्यवसाय से हुई कमाई आतंकवाद जैसी समस्याओं को मजबूती देती है। मोदी सरकार मानती है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे सभी के समन्वय से ही निपटा जा सकता है।

रणनीति

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'नशा-मुक्त भारत' के आह्वान को इस अमृत काल में हमारा दृढ़ संकल्प बनाना है। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई।

संस्थाओं में समन्वय → संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ता → जीरो टॉलरेंस नीति

संस्थागत ढाँचे की सुदृढ़ता

श्री नरेन्द्र मोदी जी के सिस्टम की मजबूती और एकाउंटेबिलिटी पर जोर देने के कारण नार्को कंट्रोल के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा संस्थागत रिस्ट्रक्चरिंग और कानूनी प्रावधानों को मजबूती देने के सतत प्रयत्न किये हैं।

NCORD – एनकॉर्ड

- वर्ष 2019 में चार स्तरीय (शीर्ष, कार्यपालक, राज्य एवं जिला स्तर की समिति) एन-कोर्ड मेकैनिज्म का गठन किया गया
- NCB को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एंजेसी बनाया गया है।

संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन

- मादक पदार्थ की तस्करी और उसकी विस्तृत जाँच के लिए 2019 में संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन।
- अब तक 2022 तक 07 राज्य स्तरीय व 07 केन्द्रीय JCC सभाएँ की गईं।

NCB कैडर का पुनर्गठन

नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें पहले चरण में 682 पदों के सृजन का प्रस्ताव था जिसमें 425 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही 05 नए जोनल कार्यालियों के सृजन, 04 क्षेत्रीय कार्यालियों के सृजन, 12 उप-क्षेत्रों में उन्नयन, और ड्रग इंटेलिजेंस विंग, प्रॉसिक्यूशन विंग, साइबर विंग और आईटी विंग आदि को भी स्वीकृति दे दी गई।

SIMS e-portal

ड्रग्स ट्रैफिंग के Trend analysis एवं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए SIMS e-portal विकसित किया गया।

मादक पदार्थों को नष्ट करना

- आजादी की 75 वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य पर 01 जून 2022 से चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 75 दिनों के दौरान 75 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टिकरण का लक्ष्य रखा गया था।
- इस विशेष अभियान के दौरान अब तक लगभग 10,17,523 kg जब्त मादक पदार्थों का विनष्टिकरण किया जा चुका है, जिसकी कीमत 11,961 करोड़ की है।
- अकेले NCB ने 1,53,819 KG जब्त मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया है, जिसकी कीमत 3,756 करोड़ की है।

दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरूपयोग

दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थाई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया गया।

नशे के कारोबार से कमाया गया पैसा देश के विरुद्ध हो रहा इस्तेमाल : अमित शाह
गृह मंत्री बोले- नशे पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टलरेंस की नीति अपना रही सरकार

Decisive war against drugs, says Shah

चंडीगढ़ में एनसीबी के कार्यक्रम में गृह मंत्री बोले
ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए 272 जिले, 80 हजार गांव चिह्नित: शाह

कहां कितनी ड्रग्स हुई नष्ट	
दिल्ली	19,320 किलो
चेन्नई	1,309 किलो
गुवाहाटी	6,761 किलो
कोलकाता	3,077 किलो

अभियान : मोदी राज में 3.3 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी
गृह मंत्री शाह की निगरानी में एनसीबी ने नष्ट की 31 हजार किलो ड्रग्स

20 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी
शाह ने कहा कि 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स पकड़ी गईं, जबकि 2014 से 2021 के बीच 20 हजार करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी। 1 जून से 15 अगस्त तक ड्रग्स नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा

नार्को संबंधित नेशनल डेटाबेस

- गृह मंत्री जी के निर्देश पर NCB ने नारकोटिक्स, नार्को-फंडिंग, नार्को-टेरर , नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण और अपराधियों से संबंधित विस्तृत नेशनल डेटाबेस NIDAAN तैयार किया।
- यह जेलों में बंद सभी गिरफ्तार नार्को -अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस है । इसे ICJS (इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के ई-जेल मॉड्यूल के सहयोग से विकसित किया गया है।
- NIDAAN अपना डेटा ई-जेल और NCB के SIMS (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर से प्राप्त करता है।
- इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार अपराधियों के बारे में सभी जानकारी जैसे फोटोग्राफ, उँगलियों के निशान, मामले का विवरण, अदालती आदेश आदि शामिल हैं।

वित्तीय निगरानी के लिए सख्त जाँच प्रक्रिया

- सभी वित्तीय दस्तावेजों का अलग-अलग FIU-IND, ED और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा विश्लेषण के बाद वित्तीय जाँच और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई बढ़ाई गई।
- वर्ष 2023 (जून) तक एनसीबी ने ऐसे 33 मामलों में फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन की जिनमें ₹74,75,00,53 की प्रोपेर्टी फ्रीज की गई।
- मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों का पता लगाने के लिए हवाला लेनदेन पर भी काम किया जाता है।

ड्रग नेटवर्क चार्ट और मैपिंग

नशीली दवाओं के स्रोत और गंतव्य पर काम करने के लिए पूरा ड्रग नेटवर्क चार्ट तैयार किया जाता है और मैपिंग भी की जाती है।

नार्को - कैनाइन पूल

- मादक पदार्थों का सूँघ कर पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों के एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पूल की स्थापना।
- पहले चरण में देश भर में इसके 10 कार्यालय (दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इम्फ़ाल, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु) खोले गए।
- इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी हितधारक संस्थाओं के नारकोटिक्स खोजी श्वानों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रस्तावों पर विचार जारी है।

समुद्री मार्ग पर सख्त निगरानी की नीति

समुद्री मार्ग से होने वाले ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सभी तटीय राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के साथ कोस्ट गार्ड, नेवी, पोर्ट्स ऑथोरिटी द्वारा विशेष प्रयास के निर्देश दिए गए।

नार्को संस्थाओं के साथ समन्वय

लचर कानूनों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय, केंद्र-राज्य में समन्वय और एकाउंटेबिलिटी की कमी व्यवस्था को कमजोर बनाते थे। सरकार के परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने 'Whole of Government Approach' के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। मोदी जी की इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए गृह मंत्रालय ने इस दिशा में भी अनेक प्रभावशाली कदम उठायें हैं।

NCORD की चार-स्तरीय रचना के द्वारा समन्वय:

- ✓ सभी स्तरों पर NCORD के सभी स्टेकहोल्डर्स की मीटिंग नियमित रूप से हो
- ✓ NCORD पोर्टल: इस पोर्टल पर जानकारी त्वरित उपलब्ध करने का प्रावधान है, जैसे कि एकीकृत ड्रग डाटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, संबंधित कानून, मैपिंग, नियम, न्यायालय के आदेश और रिपोर्टिंग तंत्र इत्यादि।
- ✓ बैठक: NCORD की APEX समिति की 19 नवंबर 2019, 21 अक्टूबर 2020, 27 दिसम्बर 2021 और 05 मई 2022 और 1 दिसम्बर 2022 को पाँच बार बैठकें हुईं।
- ✓ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एन्कोर्ड बैठकों की संख्या: 127
- ✓ जिला एन्कोर्ड बैठकों की संख्या: 2193

डेडीकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन: सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में ANTF का गठन किया जा चुका है।

मैक (MAC) की सीमा का विस्तार: नशीले पदार्थों से संबधित सूचनाओं की भागीदारी को शामिल करने के लिए MAC की सीमा के विस्तार पर विचार करने हेतु मा. गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार एक उप-समूह काम कर रहा है।

ड्रग्स तथा डार्क-नेट पर लगाम: अवैध ड्रग्स में डार्क-नेट तथा क्रिप्टो-करेंसी का उपयोग बढ़ रहा है। गत 03 वर्षों में (2020 – 2022) में एनसीबी ने ऐसे 59 मामलों में जाँच की।

- ✓ इस पर नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र की आवश्यकता पर जोर और एक समन्वय subMAC के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए।
- ✓ हालाँकि, MAC पोर्टल काउंटर-टेररिज्म से संबन्धित मुद्दों के लिए हैं, किन्तु MAC सब-ग्रुप पर ड्रग्स मामलों में डार्कनेट, क्रिप्टो-करेंसीज के इनपुट साझा किए जा रहे हैं। सब-ग्रुप की 5 वीं मीटिंग 20 फरवरी 2023 को आयोजित की गई।

केन्द्रीय स्तर के स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय: समन्वय तंत्र के महत्त्व को देखते हुए, मा. गृह मंत्री जी के निर्देश पर नार्को सम्बंधित मैकेनिज्म में सभी केंद्रीय स्तर के अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, पोत मंत्रालय, NCRB ,राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), भारतीय तटरक्षक बल, डी.आर.आई, एनएमएससी, ईडी और एनआरटीओ को शामिल किया जा चुका है तथा राज्य स्तरीय समिति में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी शामिल किया जा चुका है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय: डीईए, एएफपी, एनसीए, आरसीएमपी आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ उचित समन्वय बनाया गया जिससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया पर नियंत्रण करने में काफी मदद मिल रही है। इसके अतिरिक 45 देशों के साथ ड्रग्स के मुद्दे पर बायलेट्रल एग्रीमेंट्स / एमओयू भी किए गए हैं।

नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल:

- ✓ देश में ड्रग कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एनसीबी द्वारा डीओआर, एमओएसजे&ई, एनएसीआईएन, बीपीआर&डी और सीएपीटी के समन्वय से, केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन के विभिन्न रैंक के अधिकारियों के लिए एक कोर मॉड्यूल और 05 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए।
- ✓ इन सभी मॉड्यूल को सभी केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, NACIN और BPR&D के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।
- ✓ फरवरी, 2023 मे NCB, NACIN एवं CAPT द्वारा इन मॉड्युल्स की समीक्षा के पश्चात, इनको और कारगर बनाने के लिए कुछ सुझाव NCB द्वारा BPR&D को कुछ सुझाव प्रेषित किए गए हैं।

ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक:

ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक से संबंधित मामलों में सहयोग की संभावना तलाशने और उसे स्थापित करने के लिए, NCB और NFCU (राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका लाभ सभी संबधित एजेंससियों को होगा।

अवैध ड्रग्स की खेती की रोकथाम:

- ✓ ड्रोन, सैटलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए एरिया मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं।
- ✓ गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार एक अंतर मंत्रालय स्टडी ग्रुप का गठन किया गया है जो अवैध पदार्थों की खेती के निस्तारण के लिए ड्रोन के प्रयोग का अन्वेषण करेगा।
- ✓ एनसीबी, BISAG-N की सहायता से डेटा आधारित वेब पोर्टल और एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित कर रहा है जिससे अवैध खेती की पहचान की जा सके।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को मजबूत कर और प्रभावी बनाया गया:

- ✓ 2023 में एनसीबी की ढाँचागत सुविधाओं के सुधार के लिए ₹411.59 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
- ✓ गृह मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, दिल्ली और अमृतसर जोनल यूनिट की परियोजनाओं के लिए ₹703.75 करोड़ की प्राथमिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से इंदौर और भुवनेश्वर जोनल यूनिट के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुवाहाटी, अमृतसर एवं दिल्ली जोनल यूनिट में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- ✓ सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नशीली दवाओं की बरामदगी के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग और नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण के लिए, एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया।

"

मोदी सरकार न भारत में ड्रग बनने देगी, न बाहर से भारत की सीमा में आने देगी और न ही यहाँ से कहीं बाहर जाने देगी।

- श्री अमित शाह *(माननीय गृह मंत्री)*

अवैध फसलों की खेती की रोकथाम: दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम और गाँजे की अवैध खेती सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

- सभी प्रभावित राज्यों को अवैध मादक फसलों की खेती में लगे किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका व्यवस्था पर अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा दी गई सिफारिशें जारी की गई हैं।
- एनसीबी अवैध खेती की पहचान और विनाश के लिए प्रभावित राज्यों के साथ सैटेलाइट इमेजरी भी साझा कर रहा है।

परिणामों में दिखा परिवर्तन

केंद्र की मोदी सरकार के बहुस्तरीय प्रयासों का परिणाम है कि 2014 के बाद NCB द्वारा 2023 (जून) तक जब्त किये गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की बढ़ोत्तरी हुई है।

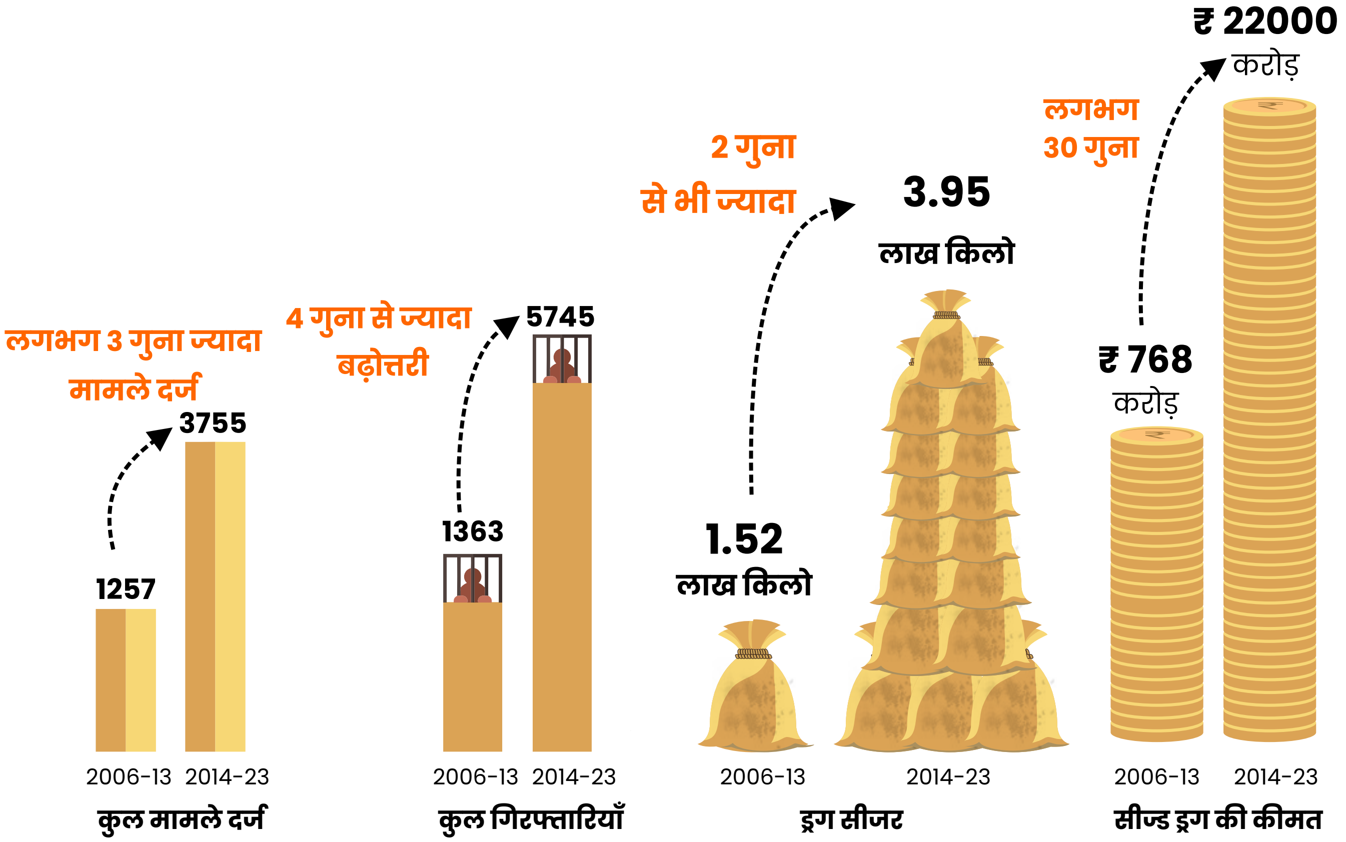

व्यापक जागरूकता अभियान

- **नारकोटिक्स कॉल सेंटर:** एनसीबी, डिजिटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 'मानस' नामक एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन बनाने हेतु तेजी से कार्यरत है।

- **जागरूकता – अवेयरनेस:**

NCB, अपनी क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा पूरे भारत में ड्रग्स सेवन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर वर्ष वार ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

शिक्षा मंत्रालय, शैक्षिक विभागों और संस्थानों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान पर ज़ोर।

372 सबसे संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति अभियान के तहत 8000 से अधिक युवा वालंटियर्स के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसमें अभी तक 3 करोड़ से अधिक युवा और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँचाया जा चुका है

- ✓ सरकार द्वारा समर्थित 340 इंटिग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाये जा रहे हैं
- ✓ ड्रग्स के विरुद्ध 9 भाषाओं में जागरूकता फिल्म बनाई गयी
- ✓ नशा मुक्त भारत शपथ अभियान शुरु किया गया

देश भर में नष्ट किये गए मादक पदार्थों की मात्रा/कीमत

नष्ट किये गए मादक पदार्थ

जून 2022 से जनवरी 2024